लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण

विषयः— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, (डांडकेसरा बाक्साईट माईन), ग्राम—डांडकेसरा, तह.—लखनपुर, जिला—सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक— 42/3, 43 एवं 78 अन्य, कुल क्षेत्रफल—44.718 हेक्टेयर (निजी भूमि—44.718 हेक्टेयर) में प्रस्तावित बाक्साईट (मुख्य खनिज) उत्खनन क्षमता—1,25,000 टन/वर्ष, अपशिष्ट क्षमता—67,307.7 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु तारीख 15/12/2022, दिन—गुरूवार, पूर्वान्ह 11:00 बजे से स्थान—ग्रामपंचायत— परपटिया, शासकीय प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक शाला का प्रांगण (मैदान), तह.—मैनपाट, जिला—सरगुजा (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :—

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, (डांडकेसरा बाक्साईट माईन), ग्राम—डांडकेसरा, तह.—लखनपुर, जिला—सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक— 42/3, 43 एवं 78 अन्य, कुल क्षेत्रफल—44.718 हेक्टेयर (निजी भूमि—44.718 हेक्टेयर) में प्रस्तावित बाक्साईट (मुख्य खनिज) उत्खनन क्षमता—1,25,000 टन/वर्ष, अपशिष्ट क्षमता—67,307.7 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई श्री अमृत लाल ध्रुव, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अंबिकापुर, जिला—सरगुजा (छ.ग.) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान श्री प्रकाश कुमार रबड़े, क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर, श्री शिवनारायण राठिया, तहसीलदार मैनपाट, परियोजना प्रस्तावक श्री पी.एस.यादव मुख्य महाप्रबंधक एवं श्री उपेन्द्र कुमार पाण्डेय डी.जी.एम तथा माईनिंग परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार/प्रतिनिधि डॉ. नफीज अहमद, बायोडायवर्सिटी एक्सपर्ट, सम्मानीय जन प्रतिनिधि तथा आसपास के गणमान्य ग्रामवासियों की उपस्थिति में तारीख 15/12/2022 को समय—पूर्वान्हः 11:00 बजे, स्थान—ग्रामपंचायत— परपटिया, शासकीय प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक शाला का प्रांगण (मैदान), तह.—मैनपाट, जिला—सरगुजा (छ.ग.) में लोक सुनवाई की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। लोक सुनवाई के दौरान कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन के साथ समय लगभग 11:20 बजे आरंभ की गई। लोक सुनवाई के प्रक्रिया के दौरान आरम्भ से समाप्ति तक लगभग 350 जनसामान्य उपस्थित हुए। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :—

1. लोक सुनवाई प्रारंभ के साथ ही उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रकिया आरंभ की गई।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अंबिकापुर द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से लोक सुनवाई के दौरान कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु लोक सुनवाई के दौरान मास्क का उपयोग किया जाना व समय–समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करने बावत् अनुरोध किया गया। साथ ही ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 के तहत् आवेदक द्वारा किये गये आवेदन, परियोजना से संबंधित रखे गये ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, समरी तथा लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशन की जानकारी के संबंध में अवगत कराया गया कि मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, (डांडकेसरा बाक्साईट माईन), ग्राम–डांडकेसरा, तह.–लखनपुर, जिला–सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक– 42/3, 43 एवं 78 अन्य, कुल क्षेत्रफल–44.718 हेक्टेयर (निजी भूमि–44.718 हेक्टेयर) में प्रस्तावित बाक्साईट (मुख्य खनिज) उत्खनन क्षमता–1,25,000 टन/वर्ष, अपशिष्ट क्षमता–67,307.7 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति, छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावास भवन सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) द्वारा टी.ओ.आर.जारी दिनांक दिनांक 11/10/2022 के परिपालन में उद्योग द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई कराने के सम्बंध में मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर मे खदान प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र मुख्यालय में प्राप्ति दिनांक 03/11/2022 के परिपेक्ष्य में मुख्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर द्वारा पत्र दिनांक 04/11/2022 के माध्यम से उक्त खदान की लोकसुनवाई कराने हेतु निर्देश दिये गये। कार्यालय कलेक्टर, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा के पत्र दिनांक 10/11/2022 के द्वारा परियोजना की लोकसुनवाई की तारीख 15/12/2022 को स्थान–ग्राम पंचायत– परपटिया, शासकीय प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक शाला का प्रांगण (मैदान), तह.–मैनपाट, जिला–सरगुजा (छ.ग.) में नियत की गई। परियोजना की ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार की हिन्दी व अंग्रेजी भाषा की प्रतियां तथा सीडी सहित अवलोकनार्थ डॉयरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, साईंटिस्ट 'डी', एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, कार्यालय कलेक्टर, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.), अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कार्यालय

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) लखनपुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.), अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सीतापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, लखनपुर, जिला– सरगुजा (छ.ग.), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मैनपाट, जिला– सरगुजा (छ.ग.), कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा(छ.ग.), उपसंचालक / खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), अंबिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.), सरपंच / सचिव, कार्यालय ग्राम पंचायत–डांडकेसरा, तह.–लखनपुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.), सरपंच / सचिव, कार्यालय ग्राम पंचायत–परपटिया, तह.–मैनपाट, जिला–सरगुजा (छ.ग.), सदस्य सचिव, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, कन्या परिसर रोड, शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पास, नमनाकला गंगापुर, तह.–अंबिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.) में रखी गई थी।

लोक सुनवाई सूचना का प्रकाशन भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपालन में दिनांक 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपालन में दिनांक 13 / 11 / 2022 को मुख्य राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र 'लोकसत्य' के दिल्ली संस्करण एवं दिनांक 14 / 11 / 2022 को एक क्षेत्रीय समाचार पत्र 'दैनिक भास्कर' के बिलासपुर संस्करण में परियोजना के संबंध में सुझाव / विचार / टीका–टिप्पणी एवं आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस का समय देते हुए "सर्व संबंधितों को सूचना" का प्रकाशन कराया गया। जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायतों को भी प्रेषित की गई।

2. अपर कलेक्टर द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन सामान्य के समक्ष परियोजना प्रस्तावक को जानकारी / प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया गया।
3. परियोजना प्रस्तावक की ओर से डॉ. नफीज अहमद, बायोडायवर्सिटी एक्सपर्ट, परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना के संबंध में निम्नानुसार जानकारी के प्रस्तुतीकरण की प्रतियां दी गई तथा जानकारी प्रस्तुत की गई :–
   - यह जनसुनवाई ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, (डांडकेसरा बाक्साईट माईन), ग्राम–डांडकेसरा, तह.–लखनपुर, जिला–सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक– 42 / 3, 43 एवं 78 अन्य, कुल क्षेत्रफल–44.718 हेक्टेयर

(निजी भूमि–44.718 हेक्टेयर) में प्रस्तावित बाक्साईट (मुख्य खनिज) उत्खनन क्षमता–1,25,000 टन/वर्ष, अपशिष्ट क्षमता–67,307.7 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वकृति के लिए छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण समिति द्वारा आयोजित की गयी है। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम (सीएमडीसी) को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 07.06.2021 को शामिल किया गया है। सीएमडीसी छत्तीसगढ़ सरकार का एक उपक्रम है और छत्तीसगढ़ सरकार के पास सीएमडीसी की 100% हिस्सेदारी है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में प्रमुख गौण खनिजों और किमती पत्थरों की खोज करना और खनिजों के अन्वेषण, दोहन और खानों के विकास के लिए खनन अधिकार प्राप्त करना है। वर्तमान में सीएमडीसी बॉक्साइट, लौह अयस्क, टिन में काम कर रही है और कोयले में काम करने की योजना बना रही है। सीएमडीसी स्वतंत्र रूप से या संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से काम कर रहा है। बैलाडिला लौह अयस्क जमा संख्या के लिए बैलाडिला रेंज में लौह अयस्क के खनन के लिए सीएमडीसी के प्रमुख भागीदारों में से एक एनएमडीसी है। सरायपाली क्षेत्र जिला महासमुंद में 1, 3, 8, 4, 13 एवं बेलमुंडी हीरा निक्षेपित है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जिला सरगुजा ग्राम डांडकेसरा में 44.718 हेक्टेयर (निजी भूमि) क्षेत्र में खनिज बाक्साइट खनन पट्टा स्वीकृत करने हेतु पत्रांक एफ 3-20/2021/12, दिनांक 25.02.2022 नवा रायपुर द्वारा आशय पत्र प्रदान किया गया है। खनन पट्टा क्षेत्र 44.718 हेक्टेयर वर्तमान भूमि उपयोग वर्षा आधारित कृषि भूमि है। परियोजना में 2,13,118.9 टीपीए के कुल उत्खनन के साथ 1,92,307.7 टीपीए की आरओएम मात्रा और 20811.2 टीपीए ओबी के साथ खनन की परिकल्पना की गई है। **ROM** मे बिक्री योग्य बॉक्साइट 1,25,000 टीपीए और अपशिष्ट मात्रा 67,307.7 टीपीए होने की परिकल्पना की गई है। बॉक्साइट उत्पादन के लिए सेमी मैकेनाइज्ड ओपनकास्ट माइनिंग ऑपरेशन प्रस्तावित है। खनन योजना को आईबीएम ने 01.06.2022 को मंजूरी दे दी है। क्षेत्र का प्रस्तावित हिस्सा पहले से अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग वर्ष 2009-10 मे 2015-16 में डीजीएम छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया था, 44.718 हेक्टेयर में 2750 मीटर के 211 बोर होल का पता लगाया गया था। प्रस्तावित परियोजना एक ओपनकास्ट बॉक्साइट (प्रमुख) परियोजना है और इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा "श्रेणी बी" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परियोजना को एसईआईएए छत्तीसगढ़ से पूर्व पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित परियोजना में वन भूमि की कोई भागीदारी नहीं है और परियोजना स्थल किसी भी वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत नहीं आता है। कोर जोन (खनन पट्टा क्षेत्र) और बफर जोन (कोर जोन के आसपास 10 किमी) को कवर करने वाले

अध्ययन क्षेत्र के भीतर गर्मी के मौसम में मार्च 2022 से जून 2022 के दौरान बेसलाइन पर्यावरणीय निगरानी की गई है।

विवरण	व्याख्या
भूमि का प्रकार	निजी भूमि = 44.718 हे कुल भूमि = 44.718 हे
उत्पादन क्षमता	परियोजना में 2,13,118.9 टीपीए के कुल उत्खनन के साथ 1,92,307.7 टीपीए की आरओएम मात्रा और 20811.2 टीपीए ओबी के साथ खनन की परिकल्पना की गई है। **ROM** मे बिक्री योग्य बॉक्साइट 1,25,000 **TPA** और अपशिष्ट मात्रा 67,307.7 **TPA** होने की परिकल्पना की गई है। बॉक्साइट उत्पादन के लिए सेमी मैकेनाइज्ड ओपनकास्ट माइनिंग ऑपरेशन प्रस्तावित है।
खनन पद्धति	सेमी-मैकेनाइज्ड ओपनकास्ट माइनिंग
काम करने की अधिकतम गहराई	**12 m**
भूगर्भीय रिजर्व	**36,04,080.82** टन
खनन योग्य रिजर्व	**24,14,655.83** टन
खदान का अनुमानित जीवन	बॉक्साइट का खनन योग्य भंडार +30% **Al2O3** पर **24,14,655.83** टन होगा। पहले पांच वर्षों के दौरान अधिकतम प्रस्तावित वार्षिक उत्पादन दर **192307.7** टन होगी, इसलिए खदान का अनुमानित जीवन लगभग **13** वर्ष होगा, प्रस्तावित अन्वेषण पूरा होने के बाद खदान का जीवन बढ़ने की संभावना होगी।
जनशक्ति की आवश्यकता	**23 Nos.**
पानी की आवश्यकता	**5.7 KLD**
अनुमानित परियोजना पूंजी लागत	**Rs. 4.8**करोड़

पूर्व खनन भूमि उपयोग

गांव	तहसील	क्षेत्र (Ha)	भूमि का प्रकार
डांडकेसरा	लखनपुर	44.718	निजी भूमि
कुल		44.718	--

- कोई वन भूमि शामिल नहीं है।
- इन झोपड़ियों/मकानों/संरचनाओं के विस्थापन का कोई प्रस्ताव नहीं है

- **खनन उपरांत भूमि उपयोग**

खनन के बाद का उपयोग	क्षेत्र (Ha)
उत्खनन द्वारा ह्रास	22.90
डंप और मटेरियल स्टेकिंग द्वारा गिरावट	0.0
पौधों और भवनों के अंतर्गत कवर किया गया	0.495
सड़कों और पहुंच से आच्छादित	0.0
कोई अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	21.323
कुल	44.718

प्रस्तावित खनन पद्धति

- खनन प्रचालन "सेमी मैकेनाइज्ड" श्रेणी में ओपन कास्ट माइनिंग पद्धति है।
- काम सिंगल शिफ्ट में होगा।
- हार्ड ओवरबर्डन और अयस्क बेंच को ढीला करने के लिए आवश्यक ब्लास्टिंग के लिए डीटीएच ड्रिल द्वारा 3 से 4 मीटर गहराई के विस्फोट छेद ड्रिल किए जाएंगे।
- शीर्ष मिट्टी को अलग से डोजर, या खुदाई करने वाले डम्पर संयोजन द्वारा अलग किया जाता है और अस्थायी रूप से पहले से ही बैकफिल्ड और समतल क्षेत्र में फैलाने के लिए संग्रहीत किया जाता है।
- हार्ड ओवरबर्डन को ड्रिल किया जाएगा, ढीला करने के लिए ब्लास्ट किया जाएगा और एक्सकेवेटर डम्पर कॉम्बिनेशन द्वारा खनन किए गए क्षेत्र को बैकफिल करने के लिए स्थानांतरित किया जाएगा। ओवरबर्डन को हटाने के बाद, 40% ।स2ञ्3 से ऊपर के ग्रेड वाले उजागर अयस्क क्षेत्र की खुदाई की जाएगी।
- विस्फोटित अयस्क की साइजिंग एवं छंटाई वर्किंग फेस पर ही की जाएगी।
- तत्पश्चात वांछित प्लांट फीड ग्रेड के सॉर्ट किए गए आकार के बॉक्साइट का प्रेषण किया जाएगा।
- **अपशिष्ट उत्पादन और प्रबंधन**
- **ऊपरी मिट्टी**
- मिट्टी का एक पतला से मोटा आवरण लैटेराइट के ऊपर होता है। मानसून के महीनों के दौरान इस क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खेती के लिए उपयोग किया जाता है।

- **अपशिष्ट**
- बॉक्साइट क्षेत्र से कुल उत्खनन से लगभग 65% बॉक्साइट अयस्क की वसूली की उम्मीद है और शेष 35% को खनिज अपशिष्ट माना जाएगा और खनन किए गए गड्ढे में छोड़ दिया जाएगा।
- **खनिज अस्वीकृत**
- बॉक्साइट अयस्क के साथ अस्वीकृत खनिज के सम्मिश्रण का कोई प्रस्ताव नहीं है।
- **बैकफिलिंग– उत्खनित भूमि को पूरे बॉक्साइट अयस्क के निष्कर्षण के बाद उत्पन्न कचरे और ओबी के माध्यम से उसी तरह से वापस भर दिया जाएगा। बैकफिलिंग उसी क्रम में की जाएगी जैसे यह प्रकृति में पाई जाती है, यानी नीचे में ओवरबर्डन, फिर ऊपर की मिट्टी। ऊपरी मिट्टी को पीछे भरे हुए क्षेत्र में फैलाया जाएगा।**
- **रिक्लेमेशन प्लान– बैकफिल्ड क्षेत्र में वृक्षारोपण द्वारा कवर किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र:** बैकफिलिंग के बाद भूमि को समतल किया जाएगा और झाड़ियों और घास से ढक दिया जाएगा ताकि भूमि की उर्वरता में सुधार हो सके।
- पहले पांच वर्षों के दौरान, लगभग 5.262 हेक्टेयर क्षेत्र को खनन गड्ढे के रूप में कवर किया जाएगा, इसमें से लगभग 4.272 हेक्टेयर क्षेत्र को ओबी और कचरे से भर दिया जाएगा।
- खदान के जीवन काल तक लगभग 22.90 हेक्टेयर क्षेत्र को गड्ढे के रूप में ढका जाएगा और इसमें से लगभग 22.90 हेक्टेयर क्षेत्र को ओबी और अपशिष्ट से भर दिया जाएगा और 21.323 हेक्टेयर क्षेत्र को अबाधित रखा जाएगा। जल पुनर्भरण तालाब के रूप में उपचारित करने के लिए किसी क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है।
- क्षेत्र में कृषि भूमि शामिल है, और सरकारी भूमि खरीद अधिनियम के अनुसार भूमि की उर्वरता बढ़ाने और भूमि की उर्वरता बढ़ाने के बाद कृषि उपयोग के लिए संबंधित स्वामियों को वापस कर दिया जाएगा।
- **भूतल योजना– अधिकतम समोच्च स्तर उत्तर पूर्व सीमा के पास 1124 एमआरएल है और क्षेत्र की उत्तरी सीमा के पास न्यूनतम 1110 एमआरएल है।**
- कोई भी राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभयारण्य/संरक्षित क्षेत्र या पशु गलियारा अध्ययन क्षेत्र के 15 कि.मी. के भीतर स्थित नहीं है।

- मॉनिटरिंग स्टेशन

क्र.सं.	क्षेत्र विवरण	जीपीएस निर्देशांक	खनन पट्टा क्षेत्र से दूरी	खनन पट्टा क्षेत्र से दिशा	निगरानी स्थान के चयन के लिए तर्कसंगत	आवृत्ति
1.	खदान साइट	22.791157N 83.153600E	-	कोर जोन	मूल भाग	
2.	धोधकेसरा	22.809193N 83.146897E	4.5km	W	•मध्यवर्ती क्षेत्र •(पूर्व-प्रमुख डाउन-विंड प्रमुख दिशा)	
3.	पटकुरा	22.770227 N 83.132736 E	2.9 km	West	•निकटतम ग्राम •(पहला प्रमुख डाउनविंड डायरेक्शन)	एक बार अध्ययन अवधि के दौरान समग्र नमूनाकरण के रूप में
4.	ललेया	22.802182 N 83.191277 E	3.9 km	SW	•मध्यवर्ती क्षेत्र •(द्वितीय प्रमुख डाउनविंड दिशा)	
5.	जामा	22.853545 N 83.140360 E	6.6 km	East	•मध्यवर्ती क्षेत्र •(द्वितीय प्रमुख डाउनविंड दिशा)	
6.	अरगोटी	22.815772 N 83.089817 E	7 km	West	•मध्यवर्ती क्षेत्र •(द्वितीय प्रमुख डाउनविंड दिशा)	
7.	परपटिया	22.848651N 83.179270 E	6.5km	NE	•मध्यवर्ती क्षेत्र •(द्वितीय प्रमुख डाउनविंड दिशा)	

- वायु पर्यावरण- अध्ययन क्षेत्र की परिवेशी वायु गुणवत्ता का मूल्यांकन 7 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों के एक नेटवर्क के माध्यम से किया गया था, जिसमें खान पट्टा क्षेत्र सहित पूरे अध्ययन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए कम से कम एक निगरानी स्थान डाउनविंड और एक अप विंड डायरेक्शन में था।
- निगरानी किए गए पैरामीटर पीएम10, पीएम2.5, सल्फर डाइऑक्साइड (एसओ2), नाइट्रोजन ऑक्साइड (एनओएक्स) और मुक्त सिलिका थे। इन मापदंडों का चयन एमओईएफएंडसीसी द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों और एसईएसी, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी टीओआर के आधार पर किया गया था।

- हवा के नमूनों के विश्लेषण पर आधारित अध्ययन से पता चलता है कि चूंकि यह खदान काम नहीं कर रही है और राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात भी कम है, इसलिए गांव में आबादी अधिक नहीं है। बेसलाइन परिवेशी वायु गुणवत्ता **NAAQS** की अनुमेय सीमा के भीतर पाई गई।

- शोर पर्यावरण- प्रस्तावित परियोजना स्थल के आसपास 7 स्थानों पर परिवेशी ध्वनि स्तरों का मापन किया गया। आमतौर पर, सार्वजनिक स्थानों जैसे मंदिरों और सामुदायिक हॉल में दिन के समय शोर का स्तर अधिक होता है।

- अध्ययन क्षेत्र में, खान स्थल पर दिन के समय में 58.4 डीबी (ए) का उच्च शोर स्तर दर्ज किया गया था और गांव छोटेपरोडा में रात के समय 38.8 डीबी (ए) का निचला शोर स्तर दर्ज किया गया था। यह निष्कर्ष निकालता है कि अध्ययन क्षेत्र में शोर का स्तर सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित निर्धारित सीमा के भीतर है।

- जल पर्यावरण- भूजल- प्रस्तावित परियोजना स्थल के आसपास 7 स्थानों पर पानी की गुणवत्ता मापी गई। सभी स्रोतों से भूजल पीने के लिए उपयुक्त रहता है क्योंकि सभी घटक भारतीय मानक आईएस: 10500 द्वारा प्रख्यापित पेयजल मानकों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर हैं। भूजल के अध्ययन क्षेत्र के विश्लेषण के परिणाम से निम्नलिखित का पता चलता है:

- विश्लेषण के परिणाम बताते हैं कि भूजल के नमूने GW1, GW2, GW3, GW4 और GW5 के लिए pH 7.22 से 7.82 के बीच है जो प्रकृति में थोड़ा क्षारीय दर्शाता है। टीडीएस (टोटल डिसॉल्वड सॉलिड्स) 166.0 mg/l से 260 mg/l की सीमा में पाया गया जो कि 2000 mg/l की स्वीकार्य सीमा के भीतर है। अध्ययन क्षेत्र में भूजल के नमूनों की कुल कठोरता 164.0 से 222.0 mg/l पाई गई जो अनुमेय सीमा के भीतर है।

- फ्लोराइड की मात्रा 0.34 mg/l - 0.86 mg/l से भिन्न होती है जो अनुमेय सीमा के भीतर है। अध्ययन क्षेत्र में समग्र भूजल गुणवत्ता क्लोराइड (16.0 से 54.0 mg/l) और सल्फेट (24.0 mg/l से 44.0 mg/l) के संबंध में खनिजयुक्त पाई गई। पोर्टेबल पानी के लिए भूजल स्रोतों में सभी पैरामीटर मान अच्छी तरह से और स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुमेय सीमा के भीतर हैं।

- ऊपरी सतह का पानी- सतही जल के नमूने एकत्र किए गए, उनका विश्लेषण किया गया और पीने के पानी के लिए भारतीय मानक 10500:2012 के साथ तुलना की गई, पीएच मान 7.12 पाया गया जो

इंगित करता है कि सतही जल प्रकृति में क्षारीय है, टीडीएस 186 mg/l पाया गया।

- घुलित ऑक्सीजन लगभग 6.8 mg/l पाई गई। यह देखा गया कि क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रेट और फ्लोराइड जैसे अन्य पैरामीटरों के भौतिक-रासायनिक विश्लेषण वांछनीय सीमा के भीतर पाए गए।
- मिट्टी का वातावरण- प्रस्तावित परियोजना स्थल के आसपास 7 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्र किए गए। मिट्टी के विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित दिखाते हैं:
- अध्ययन क्षेत्र की मिट्टी बनावट में मुख्यतः बलुई दोमट मिट्टी है। मिट्टी का पीएच 7.9 से 7.6 के बीच होता है। भुरभुरी स्थिरता वाली मिट्टी, मिट्टी का थोक घनत्व 1.64 से 1.72 ग्राम/सेमी3 की सीमा में है जबकि सरंध्रता और जल धारण क्षमता क्रमशः 32.81 से 37.40% और 26.48% से 31.26% की सीमा में है।
- यह देखा गया कि थोक घनत्व, सरंध्रता और जल धारण क्षमता के मान मिट्टी की बनावट के अनुसार अलग-अलग होते हैं। बनावट के अनुसार मिट्टी का घनत्व निश्चित सीमा में पाया गया, सरंध्रता और जल धारण क्षमता बनावट के अनुसार कम जल धारण क्षमता के बजाय सीमांत सीमा में पाई गई।
- जैविक पर्यावरण- अध्ययन क्षेत्र के कोर और बफर जोन में वनस्पतियों और जीवों का अध्ययन किया गया था। यह देखा गया कि बफर जोन में कोई अनुसूचित प्रजाति नहीं पाई गई। खनन गतिविधियों से आसपास के क्षेत्र पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा। संबंधित प्राधिकरण के नियमों और विनियमन के अनुसार शमन उपाय अपनाया जाएगा।
- कुल 52 प्रजातियां (कोर ज़ोन 31 और बफर ज़ोन 50) 47 जेनेरा के तहत दर्ज की गईं, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट ग्रुप के 29 परिवारों से संबंधित हैं।
- जीव सर्वेक्षण के दौरान, अध्ययन क्षेत्र से स्तनधारियों की 16 प्रजातियाँ, सरीसृप की 7 प्रजातियाँ, उभयचरों की 2 प्रजातियाँ और पक्षियों की 32 प्रजातियाँ देखी गई हैं।

4. अपर कलेक्टर द्वारा लोक सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों से कहा कि पर्यावरण जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासी आप सभी से इस परियोजना के संबंध में आपत्ति, सुझाव या जो भी विचार रखना चाहते हैं वे लिखित में या मौखिक तौर पर आप सुझाव, विचार कर सकते हैं आप लोग के सुझाव आमंत्रित हैं।

5. तत्पश्चात उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रकिया आरंभ की गई। विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	वक्ता का नाम	पता	कथन
1.	श्री गोविन्द यादव	ग्राम–कुदारीडीह	यहां डांडकेसरा का जन सुनवाई है, जिसमें खदान खोलने के लिए पर्यावरण समिति का लोक सुनवाई है उसके लिए मैं अपना समर्थन देता हूं और बाक्साईट खदान खुलने से यहां के लोगों को रोजगार, रोजगार के साथ में जमीन लेगा उसको प्लेन कर के लेबलिंग करके फिर वापस मिलेगा, उसका पैसा अलग से मिलेगा, रोजगार मिलेगा और हम लोग भी इस लाईन से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ–साथ हमारे भाईयों को सबको रोजी–रोजगार मिलेगा, जिसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं।
2.	श्री पवन कुमार गुप्ता	ग्राम–नर्मदापुर	मैं सी.एम.डी.सी. खदान डांडकेसरा का खदान खुलने का समर्थन देता हूं।
3.	श्री वासू राम	ग्राम–केसरा, मैनपाट	खदान यहां खुलना चाहिए।
4.	श्री रामू राम	ग्राम–केसरा, मैनपाट	खदान खुलना चाहिए, सब लोग को काम मिलना चाहिए।
5.	श्री लालू प्रसाद यादव	ग्राम–डांडकेसरा	सी.एम.डी.सी. का समर्थन करते हुए, लोगों को रोजगार मिले, धन्यवाद।
6.	श्री दिनेश सिंह	ग्राम–नर्मदापुर	हमारे यहां खदान मैनपाट में खुले, लोगों को रोजी रोटी मिलें और साथ–साथ लोगों का आर्थिक विकास भी हो जिससे क्या है कि सर हमारे यहां बहुत सारे लोग ऑपरेटर है, ड्राईवर हैं, जो बाहर जा के काम कर रहे हैं काम नहीं होने की वजह से, यहां काम खुल जायेगा तो कम से कम हमारे यहां के लोगों को यहां गांव में ही रोजी रोजगार मिल जायेगा। सब बहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, सर और

			खदान में ये है कि यहां पढ़े–लिखे को भी काम देता है और मालूम होता है कि उनके लिए भी काम है सर, कम से कम बेरोजगारी हमारे यहां का दूर रहेगा सबसे ये है सर, मैं इसका समर्थन करता हूं सर।
7.	श्री अमीत कुमार	ग्राम–कमलेश्वरपुर	खदान खुलने का समर्थन करता हूं क्योंकि खदान खुलने से यहां के लोगों को रोजगार मिलता है, मैं इसका समर्थन करता हूं।
8.	श्री अंकित यादव	ग्राम–नर्मदापुर	खदान खुलने का समर्थन करता हूं रोजगार मिले यहां के लोगों को, धन्यवाद।
9.	श्री परमानन्द यादव	ग्राम–केसरा	यहां माईन्स खुलना चाहिए, माईन्स खुलने से यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा,रोजगार मिलने से यहां के लोगों का विकास होगा,गांव का विकास होगा और यहां माईनिंग होने के बाद यहां लेबलिंग करके पौधा भी लगाया जाता है। जिससे कि पर्यावरण को भी कोई क्षति नहीं है।
10.	श्री विरेन्द्र घेंचा	ग्राम–केसरा	यहां खदान खुलने के लिए समर्थन देता हूं डांडकेसरा में और यहां के लोकल लोग को बढियां काम दें, यहां खदान खुलें ये विषय में मैं अपना समर्थन देता हूं।
11.	श्री बरातु	ग्राम–केसरा	खदान खुलने का सहमति दे रहा हूं, यहां के नागरिक को काम मिलना चाहिए, छोटे–बड़े सब लोगों को।
12.	श्री लोकपूजन यादव	ग्राम–केसरा	खदान खुलने का समर्थन करता हूं। सबको रोजगार मिले, जय भारत।
13.	श्री जूदेव प्रसाद यादव	ग्राम–डांडकेसरा	सी.एम.डी.सी. का समर्थन करते हुए मैं कह रहा हूं खदान खुलना चाहिए और लोगों को रोजगार मिले।
14.	श्री संतोष यादव	ग्राम– डांडकेसरा	मैं सी.एम.डी.सी. का समर्थन करता हूं।
15.	श्री हरेन्द्र यादव	ग्राम–ललेया	मैं सी.एम.डी.सी. का समर्थन करता हूं। यहां खदान खुले और सभी को रोजगार मिले, धन्यवाद। दूबारा कथन– जो अभी सी.एम.डी.सी. का खदान खुल रहा है उसमे मैं समर्थन करता हूं और डांडकेसरा में जो खदान खुल रहा है वो खुलना चाहिए, धन्यवाद।

16.	श्री भूनेश्वर यादव	ग्राम–नर्मदापुर	मैं सी.एम.डी.सी. का समर्थन करता हूं।
17.	श्री राजेश यादव	ग्राम–डांडकेसरा	मैं सी.एम.डी.सी. वाले को समर्थन करता हूं कि खदान खुले छोटे–बड़े सबको रोजगार मिले।
18.	श्री विशाल सिंह	ग्राम–नर्मदापुर	सर आज कॉम्पीटिशन इतना बढ़ गया है कि सभी को सरकारी नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है और बाहर जा कर शहर के लोगों को बहुत सुविधा होता है, मगर हम गांव के लोग है कोचिंग करना बहुत ही दिक्कत होता है अगर हम लोग को यहां रोजगार मिल जायेगा तो बहुत ही अच्छी बात है, सी.एम.डी.सी. खदान खुलना चाहिए, जिसका मैं समर्थन करता हूं।
19.	श्री पिंकेश्वर यादव	ग्राम–ललेया	सी.एम.डी.सी. का सपोर्ट करता हूं क्योंकि खदान खुलने से लोगों को रोजगार मिलेगा, स्थिति सुधरेगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी और आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पायेंगें, और पैसा रहेगा तो अपना धंधा–पानी खोल सकते है अपने गांव में ही, मैं सी.एम.डी.सी. का सपोर्ट करता हूं, सी.एम.डी.सी. खदान खोलने के बाद जो लेबलिंग कर जो वृक्षारोपण करते है इससे पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है और वातावरण भी अनुकुलित रहता है, मैं सी.एम.डी.सी. का सपोर्ट करता हूं।
20.	श्री रामदेव	ग्राम–डांडकेसरा	डांडकेसरा में खदान खुलने का समर्थन करता हूं, सर आजकल की सबसे बड़ी है कि हम पढ़े–लिखे बेरोजगार हैं, सर रोजगार मिल जाये तो बहुत अच्छा होगा।
21.	श्री नागेश्वर यादव	ग्राम–ललेया	मैं सी.एम.डी.सी. वाले को समर्थन करता हूं।
22.	श्री बालऋषि यादव	ग्राम–नर्मदापुर	आज सी.एम.डी.सी. का जनसुनवाई है। जिसमें मैं सी.एम.डी.सी. का समर्थन करता हूं क्योंकि माईनिंग के ही द्वारा मेनपाट का आर्थिक स्थिति सुधरा है आज से ही माईनिंग का कार्य नहीं चल रहा है। वर्षों से माईनिंग का कार्य चल रहा है, क्षेत्र के लिए खदान की आवश्यकता है क्योंके यहां बेरोजगारों की संख्या अधिक हो गई है, यदि क्षेत्र में माईन्स खुलता है तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा

			और उन्हे बाहर कहीं जाना नहीं पड़ेगा, देश का भी इसमें भला होता है। क्योंकि खदान के द्वारा राज्य सरकार को रॉयल्टी प्रदान की जाती है, यहां पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम किये जाते है, जन जागरुक किया जाता है और पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित भी यहां क्रियाकलाप कराये जाते है और सी.एम.डी.सी. द्वारा जो जमीन ली जाती है समतलीकरण के बाद उसे दिया जाता है जिससे खेती के उपज में भी उनको सहायता मिलती है,यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
23.	श्री बिहारी लाल तिर्की (जनपद सदस्य क्षेत्र क्र. 01 एवं सामाजिक कार्यकर्ता)	ग्राम–लखनपुर	मैं बिहारी लाल तिर्की, जनपद सदस्य क्षेत्र क्र. 01, जनपद पंचायत लखनपुर तथा अन्य सामाजिक संगठन में भी जैसे जनजाति सुरक्षा मंच का जिला संयोजक हूं, जनजाति गौरव समाज का भी जिला संयोजक हूं, सर्व सनातन रक्षा मंच का भी जिला संयोजक हूं तथा इस क्षेत्र के सामाजिक भाव में, भी मैं अपनी अहम भूमिका प्रदान करता हूं, मंच पर मंचासीन समस्त सी.एम.डी.सी. के आयोजनकर्ता और जिले से आये हुए पदाधिकारियों का इस पर्वतीय मैनपाट के गोद में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत के साथ में आज के इस लोक जनसुनवाई में जिसमें डांडकेसरा एक अहम ग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जैसा कि ये पर्यावरण से लबालब है। यहां प्रकृति के कई जीव–जंतुओं का आवगमन लगा रहता है, हाथी है, सुअर है और भी कई अन्य जंगली जानवरों का निवास और यहां के गांव के जो लोग हैं, वो भी यहां निवासरत् है और पारम्परिक खेती–बाड़ी के साथ अपना जीवकोपर्जन कर रहा है। जैसा कि आपने यहां प्रस्ताव पारित किया है, पारित से मेरा कथन है कि यहां पर जो खनिज सम्पदा का भण्डारण है, मेनपाट का एक विहंगम दृश्य जो है। उससे वो ये बात साबित करता है कि ये उंचाईयों पर रहता है, छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से जाना जाता है। यहां का पर्यावरण को आपके द्वारा संजोया जाता है। ये सराहनीय है, उत्खनन हो रहा है जो गांव आपको समर्थन दे रहा है उसको खोदिए, उसका विकास कीजिए वहां डेव्हल्प कीजिए,

			कुछ लोगों के वक्तव्य को मैं सुना कि हमको रोजगार चाहिए तो वो जो गांव वाले होगें जो विस्थापित होगें उनके लिए कोई कार्यक्रम को सुनिश्चित नहीं किया गया है आपके द्वारा, जैसा कि पूर्व में कई माईन्स खुले आपने कहा कि सौन्दर्यकरण करके देंगें आज भी वो खेत जैसे के तैसे वैसे ही विहड़ पड़ा हुआ है। जहां पर आप ने माइंस खोला है वहां पर घास भी... उनकी मनो भावना महसूस कर सकते हैं। यदि आपका घर उजड़ेगा आपके बहन बेटियों के साथ छेड़खानी होगा, तो स्वाभाविक है कि ऐसे लोगों का विरोध होगा.. विशेषाधिकार डांड केसरा और परपटिया के लोगों को है अपना स्थान ग्रहण करें सामने आए अपनी भी बातों को अपने वक्तव्य को रखेंगे। डांड केसरा और परपटियावासी आप लोग मंच के सामने आइए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग मंच के सामने आइए और स्थान ग्रहण करिए। अपने विचार को व्यक्त करेंगे ..सर मैं क्षमा चाहूंगा मैं अपने हमारे बीच में ही अपना वक्तव्य रखूंगा। क्योंकि वह समझना चाहते हैं और मैं उनका जनप्रतिनिधि हूं तो भाईयों चूंकि आप रिकॉर्ड करके ले जाएंगे और अपने स्तर से उचित स्तर तक पहुंचा देंगे, पर हमारे लोगों को भी जब तक वह तसरीफ नहीं रखेंगे, बैठेंगे नहीं तब तक मैं पूर्ण अपनी आवेदन आपके पास दे रहा हूं। मंच को आज के लोग जनसुनवाई के जो पदाधिकारी मंच पर विराजमान हैं उनको मैंने अपना आवेदन प्रस्तुत कर दिया है मैं आप सभी लोगों के समक्ष मेरे द्वारा दिया गया आवेदन को मैं पढ़ सुनकर आप लोगों को अवगत कहना चाहूंगा प्रति श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ विषय में मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनिरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड डांडकेसरा बॉक्साइट माइन्स ग्राम डांडकेसरा तहसील लखनपुर जिला सरगुजा कुल क्षेत्र 44.718 हेक्टेयर मतलब 110 एकड़ जमीन डांडकेसरा ग्राम का 110 एकड़ जमीन निजी भूमि में प्रस्तावित बॉक्साइट खनन आपत्ती के संबंध मैं लोक जनसुनवाई में अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं संदर्भ आपका पत्र क्रमांक 1410 क्षेत्रिय

			कार्यालय 2022 के अंतर्गत महोदय विषय अंतर्गत निवेदन है कि लखनपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम डांडकेसरा में मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनिरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा बॉक्साइट खनन हेतु डांडकेसरा स्थित खसरा क्रमांक 42/3, 43, 78 अन्य एवं कुल क्षेत्रफल 44.718 हेक्टेयर निजी भूमि प्रस्तावित जनसुनवाई में आयोजित की गई है आज दिनांक 15.12.2022 को ग्राम परपटिया मैं स्थित प्राथमिक माध्यमिक शाला के प्रांगण में आयोजित आपके द्वारा किया गया है जिसमें डांडकेसरा वासियों के द्वारा घोर कड़ी निंदा के साथ अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। मैं ग्राम वासियों से विचार से सहमत हूं कि हमारे डांडकेसरा बॉक्साइट खदान खोलने नहीं दिया जाएगा। आपके जोर–जबर्दस्ती एवं ग्राम वासियों के विस्थापित एवं जीविकोपार्जन में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अतः महोदय जी से निवेदन है कि डांडकेसरा ग्राम वासियों के विचारों का सम्मान करते हुए आपके आदेश से तत्काल प्रभाव से प्रस्ताव निरस्त करने एवं कराने का कृपा करें। यदि ग्राम वासियों का विचार का समान नहीं होने पर हम जन आंदोलन करेंगे। करने के लिए बाध्य होंगे भवदीय सम्माननीय मैं इसी तारतम्य में आपको मैनपाट की एक आओ भाव का हवा एक आपको अवगत कराना चाहूंगा। आपके द्वारा क्या यहां मैनपाट में कई वर्षों से क्या माइंस नहीं चल रहे हैं। कई बॉक्साइट माइन्स चले हैं, क्या आपने उनका समतलीकरण कराया, क्या वहां आज अन्नधान्य जो पारंपरिक खेती हो रही है। वह होती है क्या क्या उस माइंस के एरिया में क्या वहां के लोगों को रोजगार आपने उपलब्ध कराया, क्या वहां के लोगों क्या वहां के लोगों को आपने विस्थापित होने से आपने उनके लिए घर आवास और उनके लिए समुचित साधन उपलब्ध कराया, क्या उनके लिए हक का स्कूल उनके लिए हक का स्वास्थ्य, उनके हक का शिक्षा, उनके हक का सारे चीज नीत प्रतिदिन कार्य होते है, वह सारे कार्य उनके विकास के लिए आपने किया, क्या ऐसा आज तक देखने को नहीं मिला। यहां पर

			भारतवर्ष के हजारों किलोमीटर की दूरी से कई सैलानी आते हैं। कई पर्यटक आते हैं मैनपाट छत्तीसगढ़ का शिमला है, लेकिन आप लोगों के द्वारा यहां क खनन कार्य बस हुआ है। यहां पर डेवलपमेंट का कोई कार्य नहीं हुआ है। यहां का पैसा वह हिमांचल जाता है, गुजरात जाता है, अन्य प्रदेशों को चला जाता है। लेकिन यहां के इस जिले का इस मैनपाट का बॉक्साइट माइन्स यहां का जो राजस्व रॉयल्टी आज यहां को प्राप्त नहीं है क्या यह चमचमाती रोड आज यहां के लोग विस्थापित होंगे तो क्या वह उस रोड का उपयोग कर पाएंगे यहां क स्कूल उनके आवास उनके परिवार सारे चीज को आप लोगों ने जीरो कर दिया है, ठीक है। हम विकास के बाधक नहीं हैं हम विकास के समर्थक हैं। लेकिन ऐसा भी विकास क्या जिसमें हमारा घर विनाश की ओर चला जाए, हमारा क्षेत्र विनाश की ओर चला जाए हमारे रोजगार यहां से चले जाएं तो हमको ऐसे रोजगार और ऐसा आप की व्यवस्था नहीं चाहिए। जिसके लिए अगर बाध्य करेंगे, तो हम किसी भी हद को पार करने को तैयार है। सम्माननीय मंच मैं आप लोगों को आखरी एक हिदायत देना चाहूंगा, कि एक–एक मनोभाव जन भावना के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, वह अगर उनके एक आदमी का भी समर्थन मिल जाए, तो आप समर्थन ले लीजिएगा। लेकिन उस गांव के उस उस आदमी का उस व्यक्ति का उस परिवार का जीविकोपार्जन खेत से उसके जमीन से, जंगल से उसके उस क्षेत्र से, उसे लगाव है उस लगाव को आप बाध्य नहीं कर सकते। उनको हटा नहीं सकते। मैं और ज्यादा ना कहते हुए कुछ देर में और अपनी बातों को विशेष रूप से रखूंगा थोड़ी सी देर बाद अपनी और वक्तव्य को रखूंगा, धन्यवाद। बोलिए ..भारत माता की जय !धरती माता की जय!.. भारत माता की जय!जोहार, प्रणाम सभी को जय श्री राम।
24.	श्री त्रिवेणी यादव	ग्राम–डांडकेसरा	त्रिवेणी यादव ग्राम डांडकेसरा हमारे गांव में सीएमडीसी आया, एक बार 70 साल का जमीन हमने कब्जा करके बैठा था। उसको

			धोखा से पूरी जमीन को घेर लिया और उसमें घेर के पूरा पौधा लगा दिया है हुजूर! हम मर रहे हैं, खाने बिना, नाम मेरा नाम है त्रिवेणी यादव है बुरी हाल मेरा हो रहा है, कोई सुनवाई कलेक्टर किया ना अधिकारी किया हम यहां से मुख्यमंत्री तक गया, कोई सुनवाई हुआ है हुजूर। कुदते–कुदते परेशान हो क्या लेकिन 10–20 हजार रुपया उसको भी गाड़ी किराया में खत्म कर दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ, हम मर रहे हैं घर में बैठ के, ढाई एकड़ जमीन मेरा है। उसके खदान फिर वही सीएमडीसी जाकर वहां खदान खोल रहा है, हम तो पूरा परिवार मर गए, और मेरे यहां नौ ठोक लड़की पैदा हो गए हैं उनकी शादी ब्याह करने, मेरे यहां कोई चीज नहीं है, मैं परेशानी एकदम झेल रहा हूं और पूरा मैनपाट लग गया हां हम लोगों का ढाई एकड़ जमीन है उसको कोढ़वा रहा है हुजूर तो खदान नहीं खोलना चाहिए सीएमडीसी को हमारी जमीन नहीं देना चाहिए मेरा कहना यही है ज्यादा मैं बोलने बतियाने में असमर्थ हूं, प्रणाम।
25.	श्री भूपेश यादव	ग्राम– डांडकेसरा	मैं भूपेश यादव ग्राम डांडकेसरा का निवासी हूं माननीय महोदय मैं आप लोगों के समक्ष यही कहना चाहूंगा जो भी रहे, लेकिन प्रजा के हित में रहे और प्रजा के लिए हितकारी हो, मैं यही बस कहूंगा और बाकी जो कुछ भी है, प्रजा के लिए ही हो, प्रजा के लिए ही सर्वोपरि रहे। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा महोदय धन्यवाद।
26.	श्री हरिकेश्वर यादव	ग्राम– डांडकेसरा	मैं डांडकेसरा से हरिकेश्वर यादव सी.एम.डी.सी. के पक्ष में हम नहीं हैं। हमारा जमीन बचना चाहिए जमीन हम खोदने नहीं देंगे।
27.	श्री रामेश्वर यादव	ग्राम– डांडकेसरा	मैं रामेश्वर यादव सर आप लोग, ग्राम डांडकेसरा के हैं हम लोग, आप लोग कह रहे हैं कि बिजली पानी सबका समस्या सुनेंगे। लेकिन कोई नहीं सुनता, हम लोग कितने अंबिकापुर से लखनपुर से हम लोग विकासखंड लखनपुर के रहने वाले हैं। 07 किलोमीटर का रोड जो खराब है उसको कोई देखने नहीं आया और हमारे गांव में आज हम को भगाना है तो शासन प्रशासन सब साथ में

			लग गए। हम लोगों को भगाने के लिए और इतना बड़ा तंबू लग गया। ऐसा तंबू हम लोगों के विकास के लिए कभी नहीं लगा तो हम लोग तो अपना जमीन नहीं देंगे सर और सीएमडीसी से हम लोगों का कोई भला ही नहीं है। हम लोगों का विनाश होगा काहे की मैनपाट में हम लोग देख रहे हैं कि जहां पर भी खुदाई हुआ है वहां का लोग बहुत परेशान हैं तो हम लोग का इसके पक्ष में नहीं है कि गांव में सी.एम.डी.सी. खोलें इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देते हैं।
28.	श्री सत्यनारायण यादव	ग्राम— डांडकेसराः	मैं सत्यनारायण यादव, ग्राम डांडकेसरा से हम लोगों को यही सूचना मिला है कि की ग्राम डांडकेसरा में सीएमडीसी द्वारा बॉक्साइट उत्खनन किया जा रहा है और इसमें पूरे ग्रामवासी आए हैं। इस संबंध में हमारे ग्राम डांडकेसरा का जो आम जनता है, वह सहमत नहीं है
29.	श्री दीनानाथ	ग्राम— डांडकेसरा	ग्राम डांडकेसरा दीनानाथ खदान नहीं खुलना चाहिए।
30.	श्री रामनारायण	ग्राम— डांडकेसरा	हम रामनारायण हैं, ग्राम डांडकेसरा, हमारे ग्रामवासी सब प्रभावित हो जाएंगे। हमारे ग्राम मैं खदान नहीं खुलना चाहिए, महोदय यही निवेदन करता हूं।
31.	श्री भीनू	ग्राम—डांडकेसरा	भीनू यह अपना ग्राम है नहीं खोद लेव खदान। जगह जमीन सब उड़ जाथे नही खोदे देवों खदान।
32.	श्री जयलाल सोता	ग्राम—डांडकेसरा	ग्राम डांडकेसरा से जय लाल, अपना जमीन में खदान नहीं खोदने दूंगा।
33.	श्री मुन्ना	ग्राम—डांडकेसरा	मैं मुन्ना हूं, ग्राम डांडकेसरा का बॉक्साइट हम लोग नहीं खानने देंगे।
34.	श्री श्रीराम	ग्राम—डांडकेसरा	श्रीराम, डांडकेसरा। हम लोग वही जमीन जिंदा है पुरा जीने खाने का व्यवस्था के लिए। हम लोग खदान नहीं चाह रहे हैं, सर। हम लोग खदान नहीं खुलने देंगे।
35.	श्री रामा यादव	ग्राम—डांडकेसरा	रामा यादव, ग्राम डांडकेसरा का खदान हम लोग नहीं खोलने देंगे अपने गांव में।
36.	श्री सुमन यादव	ग्राम—डांडकेसरा	हम ग्राम डांडकेसरा के हैं, नाम सुमन यादव हम लोग खदान नहीं चाह रहे हैं, सर। हम लोगों के गांव में खदान नहीं खोलना चाहिए।
37.	श्री रामदुलार यादव	ग्राम— डांडकेसरा	मैं राम दुलार यादव, ग्राम डांडकेसरा। पूरा—पूरा सी.एम.डी.सी. का विरोध कर रहे हैं

			पूरे ग्रामवासी कि हम लोग खदान नहीं, खुलने देंगे।
38.	श्री सचिन यादव	ग्राम—डांडकेसरा	मैं सचिन यादव, ग्राम डांडकेसरा से हमारे गांव में सी.एम.डी.सी. खदान खोलना नहीं चाहिए।
39.	श्री नंदलाल यादव	ग्राम—डांडकेसरा	ग्राम डांडकेसरा से खदान खोलना नहीं चाहिए।
40.	श्री मनोज यादव	ग्राम—डांडकेसरा	मेरा नाम मनोज यादव, ग्राम डांडकेसरा से खदान नहीं खोलना चाहिए।
41.	श्री देवीप्रसाद	ग्राम—डांडकेसरा	मेरा नाम देवी प्रसाद, ग्राम डांडकेसरा का रहने वाला खदान नहीं खुलना चाहिए।
42.	श्री जगरोपण	ग्राम—डांडकेसरा	ग्राम डांसकेसरा से हमारा नाम जगरोपण है हम भी यही कह रहे हैं कि खदान नहीं खुलना चाहिए।
43.	श्री बिन्दा यादव	ग्राम—डांडकेसरा	मेरा नाम बिंदा यादव है, ग्राम डांडकेसरा से खदान नहीं खुलना चाहिए।
44.	श्री शंकर यादव	ग्राम—डांडकेसरा	मेरा नाम शंकर यादव है, ग्राम डांडकेसरा में खदान नहीं खुलना चाहिए।
45.	श्री कलेश्वर यादव	ग्राम—डांडकेसरा	मेरा नाम कलेश्वर यादव, ग्राम डांडकेसरा का रहने वाला हूं मेरा यह है कि खदान नहीं खुलना चाहिए।
46.	श्री जीवनलाल यादव	ग्राम—डांडकेसरा	जीवन लाल यादव, ग्राम डांडकेसरा खदान खोलने के लिए सहमत नहीं हूं।
47.	श्री सुनील यादव	ग्राम—डांडकेसरा	मैं सुनील कुमार यादव, ग्राम डांडकेसरा, मैं महोदय जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह अभी पूछ रहे थे कि नहीं आप लोगों को रोड़ का समस्या हो पानी का समस्या हो या कोई और समस्या हो तो उसको बताएं आज उसको सीएमडीसी के बारे में कोई जानकारी हुआ है, ग्राम से कोई चीज प्राप्त हो रहा है, तो हमारे परेशानी को पूछने के लिए आए हैं इससे पहले हमारे यहां कोई डिलीवरी होता था बीमार पड़ता था। उस समय आपको कितने बार आवेदन दिया जाता था अनुरोध किया जाता था, सर। कुछ नहीं तो यहां मूरम डालकर कुछ इस तरह का रास्ता निकाला जाए। उस समय आप लोग यहां कुछ भलाई नहीं देख रहे थे। डांडकेसरा में बॉक्साइट उत्खनन के लिए जो भी किया जा रहा था, पूछ रहे हैं कि आप लोग कुछ रोजगार चाहिए, रोड चाहिए सुविधा चाहिए, यह तो आप अपने

			स्वार्थ के लिए कह रहे हैं। हमारे हित के लिए क्या कर रहे हैं पूरा गांव बिखर जा रहा है, किसी के लिए यहां घर बसाने के लिए जगह नहीं है उनको तो आज वहां से हटने पड़ेगा, धन्यवाद।
48.	श्री मायाराम यादव	ग्राम–डांडकेसरा	हम ग्राम डांडकेसरा का मायाराम यादव है। मेरा कहना यह है कि खदान नहीं खुलना चाहिए खदान में हम लोग का घाटा है। खेती से कमाई करेंगे, खाएंगे उसी में फायदा है। आज दूसरा समस्या, यह है कि भोई डांड पारा में हमारे पानी का बहुत बड़ा परेशानी है। महिला लोग जाते हैं पानी लेने तो पहाड़ से गिर गिर के हाथ गोड टूटने से बच रहे हैं। आओ 1 किलोमीटर के अंदर में पानी है हम लोग 4, 5 घर के हैं पूरे पानी के लिए परेशान है इतना कहना चाहूंगा मैं धन्यवाद।
49.	श्री शिवनारायण यादव	ग्राम–डांडकेसरा	मेरा नाम शिव नारायण यादव, ग्राम डांडकेसरा, हमारे पड़ोसी गांव हैं मैनपाट में, हम लोग वहां के देख लिए हैं, खदान का कार्यक्रम उससे हम लोग संतुष्ट हो चुके हैं। हमारे गांव में खदान ना खुलना चाहिए। मेरा निवेदन यही है इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि हमारे ग्राम डांडकेसरा में खदान ना खुलना चाहिए।
50.	श्री कुबेर यादव	ग्राम–डांडकेसरा	हम ग्राम डांडकेसरा से कुबेर यादव, मंच अधिकारी, मेरा यह निवेदन है कि हमारे ग्रामवासी को छोटे बड़े बंधुआ मजदूर जो भी हैं। मेरा यही निवेदन है कि उनको कोई प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। कोई प्रकार कि तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरा यही निवेदन है कि ग्राम डांडकेसरा का ऐसा चीज ना हो की ताकि ग्राम डांडकेसरा को नुकसान हो। ऐसा मेरा निवेदन है महोदय, कि डांडकेसरा को बचाया जाए या प्रदूषण से अभी प्रदूषण रहित है। डांडकेसरा तो मेरा यही निवेदन है कि सर बड़े छोटे जो भी हैं हमारे ग्रामवासी उनको कोई तरह की तकलीफ नहीं आनी चाहिए और उनका समस्या का निदान करें, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
51.	श्री नरसिंह यादव	ग्राम–डांडकेसरा	मैं नरसिंह यादव, ग्राम डांडकेसरा, हम लोग यह बॉक्साइट खनन के हैं पक्ष में नहीं है। अपने गांव में बॉक्साइट खनन नहीं कराना

			चाहते हैं और बॉक्साइट खनन से हमको बहुत प्रकार की समस्याएं आएंगी। वाटर लेवल डाउन जाएगा पर्यावरण प्रदूषण होगा और सबसे बड़ी समस्या है कि ग्रामडांडकेसरा कृषि आधारित ग्राम है और जितने भी लोग हैं, कृषक मजदूर हैं और इस प्रकार की खनन से हमारे ग्राम पंचायत को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हम समस्त ग्राम वासियों एक स्वर में इसका बहिष्कार करते हैं और इस प्रकार की बॉक्साइट खनन की अनुमति ग्राम पंचायत नहीं देती। बस इतना ही कहना चाहते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं।
52.	श्री पंडा	ग्राम—डांडकेसरा	ग्राम डांडकेसरा बोल रहा हूं मेरा नाम पंडा। हमको नहीं चाहिए गा, नहीं चाहिए गा, मेरे को खदान नहीं चाहिए। हम जहां पर रहते हैं, यहां रहते तक खोलना नहीं चाहिए। और मेरे को जहां उचित जलवायु रहेगा बस हमको रहना चाहेगा। जय जिंदाबाद।
53.	श्री दीना	ग्राम—डांडकेसरा	हम दीना बोल रहा है, खदान नहीं चाहिए हमको। हम लोगों को खदान नहीं चाहिए।
54.	श्री बितन	ग्राम—डांडकेसरा	ग्राम डांडकेसरा से बितन, मैं बोलता हूं हमारे गांव में खदान नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए।
55.	श्री महेन्द्र	ग्राम—डांडकेसरा	मैं ग्राम डांडकेसरा से महेंद्र बोल रहा हूं हमको खदान नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए।
56.	श्री सुखराम	ग्राम—डांडकेसरा	मैं हमारे ग्राम डांडकेसरा से बोल रहा हूं। हमको खदान नहीं चाहिए एकदम हमको बाद में तकलीफ आएगा खदान नहीं चाहिए।
57.	श्री मनबोध	ग्राम—डांडकेसरा	मैं ग्राम डांडकेसरा से मनबोध बोल रहा हूं। हम लोगों के यहां खदान खोलने वाला है, तो खुलने नहीं देंगे।
58.	श्री धनेश्वर	ग्राम—डांडकेसरा	हम धनेश्वर बोल रहा हूं, हमारे ग्राम डांडकेसरा खदान खोलने बोलते हैं, नहीं खोलेंगे खदान।
59.	श्री राजकुमार	ग्राम—डांडकेसरा	मैं राजकुमार बोल रहा हूं, हम लोगों का गांव डांडकेसरा में खदान खोलेंगे बोल रहे हैं तो हम नहीं खुलने देंगे।
60.	श्री देवान	ग्राम—डांडकेसरा	मैं देवान बोल रहा हूं कि डांडकेसरा में खदान नहीं खुलेगा, तो नहीं खुलेगा ।
61.	श्री राजमन सोता	ग्राम—डांडकेसरा	मैं ग्राम डांडकेसरा से बोल रहा हूं राजमन, खदान नहीं खुलेगा, तो नहीं खुलेगा।

62.	श्री बिकेश आदिवासी	ग्राम—डांडकेसरा	मैं बिकेस आदिवासी बोल रहा हूं, मेरा ग्राम है डांडकेसरा में, खदान खोलने को कहते हैं, खदान खोदने नहीं देंगे ग्राम गांड केसरा में खदान नहीं चाहेगा।
63.	श्री राजेश कुमार	ग्राम—डांडकेसरा	मैं ग्राम डांडकेसरा से राजेश कुमार बोल रहा हूं, हम लोगों को खदान नहीं चाहिए गा, तो नहीं चाहिएगा।
64.	श्री रमेश	ग्राम—डांडकेसरा	मैं डांडकेसरा से रमेश बोल रहा हूं, हम लोगों को खदान नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए।
65.	श्री सुखदेव सोता	ग्राम—डांडकेसरा	हम सुखदेव, डांडकेसरा बोलता है खदान नहीं चाहिएगा, तो नहीं चाहिएगा।
66.	श्री रामलाल	ग्राम—डांडकेसरा	रामलाल, ग्राम डांडकेसरा, खदान नहीं चाहेगा।
67.	श्री बरातु	ग्राम—डांडकेसरा	बरातू बोल रहा है कि डांडकेसरा में खदान नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा।
68.	श्री बराहील (पंच)	ग्राम—डांडकेसरा	बराहील, ग्राम डांडकेसरा में खदान नहीं खुलेगा।
69.	श्रीमती बुधिया	ग्राम—डांडकेसरा	डांडकेसरा बुधिया बोल रहा हु। हमारे गांव में खदान नहीं चाहिए गा। हम कहां जाएंगे लाइका लेकर। नहीं चाहेगा खदान।
70.	श्रीमती तिलासो	ग्राम—डांडकेसरा	खदान नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए।
71.	श्री कलिन्दर केरकेट्टा	ग्राम—डांडकेसरा	मेरा नाम कलिंदर केरकेट्टा ग्राम पंचायत डांडकेसरा से हूं, डांडकेसरा पंचायत में खदान नहीं चाहिए गा, मैं डांडकेसरा से बोल रहा हुं।
72.	श्री गुड्डु सोता	ग्राम—डांडकेसरा	हमें गांव में खदान नहीं चाहिए, मैं डांडकेसरा से बोल रहा हूं।
73.	श्री सियाराम सोता	ग्राम—डांडकेसरा	हमें खदान नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए।
74.	श्री नंदू सोता	ग्राम—डांडकेसरा	मैं डांडकेसरा से नंदू खदान नहीं चाहेगा, तो नहीं चाहिएगा।
75.	श्री सुभाष	ग्राम—परपटिया	मैं सुभाष बोल रहा हूं परपटिया, खदान नहीं खुलेगा।
76.	श्री रजनीश पाण्डेय (भाजपा मण्डल अध्यक्ष मैनपाट)	ग्राम—डांडकेसरा	सम्मानित मंच, परपटिया डांडकेसरा के मेरे सम्मानित ग्राम बंधू मैनपाट विकासखंड के लगे गांव डांडकेसरा में आज पर्यावरण जनसुनवाई हो रही है। खदान को लेकर हमारी आपत्ति है। और खदान मेरा नाम रजनीश पांडे है भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष, मैनपाट, मेरी डांडकेसरा के खदान खोलने को लेकर आपत्ति है और खदान खोलने को

			आपत्ति का प्रमुख कारण मेरा प्रशासनिक अधिकारियों से आग्रह है कि जहां भी जिस क्षेत्र में खदान खुल रही है उस क्षेत्र की नदियां लगातार सूख रही हैं 10 से 12 सालों के बीच खदान जहा भी हैं उनके आसपास की नदियों को आप देखिएगा। तो बिल्कुल सूख गई हैं और लगातार पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, हमको दिसंबर महीने में बैठे हैं मैनपाट की आबोहवा लगभग बदल चुकी है, पेड़ बिल्कुल घट गए हैं और मेरा अनुभव 20–25 सालों में है सीएमडीसी कि जो कार्य प्रणाली है वह पर्यावरण के प्रति बिल्कुल लापरवाह है। उनकी निगाह सिर्फ खदान खोलने को लेकर है और इसके अलावा कोई भी काम पर्यावरण को लेकर उनकी संजीदगी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। मेरा सीधा आरोप है बरीमा माइंस के बगल पिछले वर्ष सीएमडीसी के ठेकेदार ने 500 नग पौधे लगाकर 25,00,000/– रुपए फर्जी तरीके से कर लिया गया था। उसकी जांच भी जारी है जो मुझे नहीं लगता कि उसमें जांच भी अच्छे से हो पाएगी। इस तरीके के उनके जो कार्य प्रणाली है। उससे लेकर ग्राम वासियों का आक्रोश अभी भी देखने को मिल रहा है। लगातार देखने को मिलता है हम जानते हैं कि आप लोग खदान खोल लेंगे। परंतु हम ग्रामीण हैं और ग्रामीण होने के नाते हमारी मंशा स्पष्ट है कि हम आप खदान ना खोलिए और अगर आप खदान खोलते हैं, तो आप अपनी इमानदारी और क्षेत्र के ग्रामीणों के प्रति कुछ भी आपके मन में थोड़ी सी भावना अच्छी हो तो ग्रामीणों के विषय में जरूर सोचिएगा। पुनः आप सबसे डांडकेसरा में बॉक्साइट खदान ना खोले इसको लेकर हमारी आपत्ति दर्ज की जाए जय। छत्तीसगढ़, जय मैनपाट।
77.	श्री अवधेश यादव	ग्राम—डांडकेसरा	डांडकेसरा से मेरा नाम अवधेश यादव है, डांडकेसरा से और मेरा निवेदन है कि ग्राम डांडकेसरा में खदान नहीं खुलना चाहिए।
78.	श्री प्रबोध मिंज (पूर्व महापौर एवं नेता प्रतिपक्ष अम्बिकापुर)	ग्राम—अंबिकापुर	मैं प्रबोध मिंज अंबिकापुर पूर्व महापौर अभी वर्तमान नेता प्रतिपक्ष और एक सरगुजा जिले का निवासी जनप्रतिनिधि के रूप में यहां उपस्थित हूं ग्राम वासियों के आग्रह पर और

			यह लोग सुनवाई हो रही है। मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन की खदान खोलने के संबंध में है मैं उपस्थित यहां मंच है सभी अधिकारी हैं, उपस्थित क्षेत्र के निवासीगण, मैं कुछ दो चार बिंदुओं के और बातों को रखूंगा मेरे पूर्व वक्ताओं ने अभी अपनी आपत्तियां खदान खोलने के संबंध में बताया था निश्चित रूप से यह छत्तीसगढ़ पर्यटन का सबसे बड़ा क्षेत्र है, सरगुजा जिले का पूरे छत्तीसगढ़ का और मैनपाट को पर्यटन का सबसे बड़ा क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। और जिस वातावरण के लिए जिस ठंडक के लिए जिस ऊंचाई के रुप में यहां छत्तीसगढ़ को यहां पर्यटन के लिए डिवेलप किया जा रहा है एकमात्र पर्यटन स्थल है, वह ठंडक की वजह से किया जा रहा है और यहां की ठंडक पर्यावरण का जो वातावरण है, वह आज जो पूरा स्थिति है वहां ठंडक खत्म हो गई हैं। जंगल की कटाई हो गई है खत्म हो गई है खदान खोलने से नदियों का पानीयों का जल स्रोत है वह सुख समाप्त हो रहा है और जनसुनवाई के साथ–साथ यहां जो 1,25,000 टन प्रतिवर्ष यहां जो खनन उत्खनन करके लिया जाएगा और पूर्व का जो यहां का अनुभव रहा है पूरे मैनपाट में जगह–जगह बॉक्साइट की खनन हुई है और वहां की स्थितियों में जैसा जनसुनवाई के समय लोगों को बताया जाता है उसके अनुरूप आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ना विकास हुआ है ना वहां का पर्यावरण सुधरा है ना वृक्षारोपण बड़ा है ना उस क्षेत्र के लोगों को कोई ऐसा सुविधा मिल पाई ना लोगों का विकास हो पाया है तो यह पूर्वाग्रह सब लोगों के साथ है कि इस क्षेत्र में यदि यहां परपटिया डांडकेसरा जो मैनपाट का सबसे ऊंचा क्षेत्र है और पर्यावरण के हिसाब से जो सबसे उचित माना जाता है उसका यहां पूरा नष्ट हो जाएगा यहां के लोगों का जीवन स्तर खत्म हो जाएगा और इसलिए मैं सुन रहा था की अधिकांश लोग इसके पक्ष में नहीं है। दूसरी बात एक चीज और मैं यह कहना चाहूंगा की हम सब लोग आज पांचवी अनुसूची के क्षेत्र में है और पांचवी

			अनुसूची विशेष आदीवासी क्षेत्रों मैं में लागू है उनके संरक्षण के लिए लागू है और उनके आदिवासियों के हितों में खदान खुलना कतई उचित नहीं होगा और आदिवासियों उन्नति के बजाय इसमें अवनति होता है उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है उनको अन्यत्र विस्थापित होना पड़ता है तो ऐसे सुनवाई के लिए शासन भी अलग से प्रावधान दिए गए हैं विशेष पेशा कानून लागू है, विशेष ग्राम सभा का आयोजन होना है और ग्रामसभा ही इसमें सर्वोपरि होता है और ग्रामसभा इसमें यदि नहीं चाहती कि किसी निर्णय पर पहुंचता है तो उस निर्णय को सर्वोपरि मानना सरकार का काम होता है तो नियम और प्रक्रिया और संविधान के अनुरूप कार्यवाही हो और यदि ग्रामसभा पांचवी अनुसूची के अनुरूप में यह कार्यवाही नहीं होती, तो आगे इसको कानूनन रूप से सब लोगों को ग्राम वासियों को न्यायालय का शरण लेना पड़ेगा और उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जैसा जनसुनवाई में लोगों की अकांक्षा है। उनकी बातों को सुना जाए उनका जो निर्णय है सभा का उस ।निर्णय को माना जाए और उसके अनुरूप कार्यवाही हो, धन्यवाद! जय हिंद।
79.	श्री विनोद कुमार हर्ष (भाजपा का जिला उपाध्यक्ष)	ग्राम—अम्बिकापुर	मैं भाजपा का जिला उपाध्यक्ष हूं और यह डांडकेसरा का क्षेत्र है। मेरे घर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और ज्यादा लंबा विषय नहीं रखना है। मुझे मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया निश्चित रूप से मैनपाट हमारे सरगुजा का कश्मीर है और यहां के पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार की उत्खनन की गतिविधियां ना हो और पूरी जनता के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं बस यही आग्रह है मेरा प्रशासन से की सुनवाई का परिणाम दिखना चाहिए सिर्फ नहीं होना चाहिए। जय जोहार, सब साथियों को।
80.	श्री गंगाराम पैकरा (छ0ग0 मजदूर संघ)	ग्राम—पोड़ी, लखनपुर	मेरा नाम गंगाराम पैकरा है, मैं ग्राम पोड़ी से आया हूं लखनपुर और छत्तीसगढ़ किसान मजदूर संगठन से हूं यह जो आज जनसुनवाई हो रहा है, पहली बात तो यह मेरा , कहना है कि नियम के अनुसार यह डांडकेसरा में होना था यह परपटिया में हो रहा है यह नियम के

			खिलाफ है, दूसरी बात मेरा यह कहना है कि इसको ध्यान रखना चाहिए कि और यहां पर क्यों रखा गया। वह शायद मुझे नहीं मालूम और यह जिस तरीके का छत्तीसगढ़ में अगले वक्ताओं ने कहा है कि यह छत्तीसगढ़ की कश्मीर है और सारी नदियां सरगुजा की लगभग सरगुजा से जिस मैनपाट से निकले हुए हैं दूसरी बात सरगुजा का सबसे बड़ा डैम जो हमारा दरिमा के पास जो बना हुआ है जो इस तरीके से यहां से निकलती है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी जो नदियां पूरे सरगुजा को सिंचती है तो इसलिए इस बॉक्साइट उत्पादन से डांडकेसरा को ही नुकसान नहीं होगा इस उत्खनन से पूरे सरगुजा को नुकसान होगा। इसलिए मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूं और जिस तरह साथियों ने कहा कि यह पेशा के क्षेत्र में आता है और जिस तरीके का यहां पर ग्राम सभा का पूरी पूरी सहमति होनी चाहिए और जनसुनवाई में जो यहां का वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। यह हमारी जनता को एकदम दिखाना चाहिए क्या हो रहा है इसे सामने रखना चाहिए, यह मेरा कहना है और फिर से हम इसका विरोध करते हैं जय जोहार।
81.	श्री पूरन सिंह टेकाम (आदिवासी मोर्चा जिला भाजपा)	ग्राम—सकालो सरगुजा	मैं पूरन सिंह टेकाम आदिवासी जिला मंत्री भाजपा, सम्मानीय मंच, सम्मानीय अधिकारीगण डांडकेसरा, परपटिया के यहां उपस्थित ग्रामीण गण आज यहां जो खदान खोलने जा रहा है। वह जब पूरा गांव असहमत है तो इसे ना खोला जाए। बल्कि गांव वालों की मूलभूत सुविधा को ध्यान में देते हुए प्रशासन उनके पानी, सड़क और बिजली लाइन की मूलभूत सुविधाएं उन पर ध्यान दें, बॉक्साइट से खनन से इनके परिवार को भी नुकसान होगा। खेती—बाड़ी विस्थापन कीजिएगा। उनके परिवार छीतर बितीर होंगे, जिसके लिए हम आपत्ति करते हैं और जनसुनवाई का जल्द ही हमको रिपोर्ट भी आए, कि खदान नहीं खुल रहा है धन्यवाद।
82.	श्री अमित सिंह देव (जनपद उपाध्यक्ष,	ग्राम—लखनपुर	मैं लखनपुर, जनपद उपाध्यक्ष अमित सिंह देव जैसा कि पूर्व वक्ता अभी पैकरा जी बोले यह जनसुनवाई आपके परपटिया की जगह

	लखनपुर)		डांडकेसरा में ही होना था। परपटिया में हो सकता है कि डांडकेसरा के कुछ लोग ना भी पहुंच पाए हो, सबसे पहला दो आपत्ति यह है कि ग्रामसभा हुआ वह आपका डांडकेसरा में ही होना था। परपटिया में नहीं होना था। दूसरा यह आपत्ति है कि अगर ग्राम सभा में हमारे डांडकेसरा के लोग चाहते हैं कि यहां खदान ना खोला जाए तो उनके भावनाओं का आदर किया जाए और जो मेनपाट हम लोगों का एक छत्तीसगढ़ में शिमला के नाम से जाना जाता है। उसको पर्यावरण की दृ ष्टिकोण से बचा कर रखा जाए। क्योंकि यह छत्तीसगढ़ का एक मैनपाट मुकुट है, मैं भी इसका विरोध करता हूं और आपत्ति अपना दर्ज उपना करावाना चाहता हूं कि यहां डांडकेसरा में बॉक्साइट का खनन ना हो, धन्यवाद।
83.	श्री राजेश गुप्ता, (अधिवक्ता)	ग्राम—सीतापुर	सर, मैं राजेश गुप्ता, अधिवक्ता सीतापुर, आप सभी को मेरा प्रणाम, आप सभी बैठे लोगों को मेरा प्रणाम, दादा प्रणाम, सीएमडीसी के द्वारा जो यह जनसुनवाई किया जा रहा है। जो एक फॉर्मेलिटी पूरा किया जाता है, पहले सालों से किया जाता रहा है और उसी फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए आज भी यह बैठक हो रहा है, सर मैं डिटेल में जो अपका पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई है। उस पर मेरे टेक्निकल ऑब्जेक्शन है। उसे मैं लिखित में दे रहा हूं, उससे पहले सर कुछ सवाल हैं जिसको मैं माननीय जो बैठे हुए हैं सीएमडीसी के जो कॉन्फिडेंट अथॉरिटी है उनसे मैं पूछना चाहूंगा की ये जो जनसुनवाई है। यह ग्राम डांडकेसरा में क्यों नहीं किया गया। इसका क्या कारण है डांडकेसरा के कितने लोग यहां आए हुए हैं, क्या इसके क्या कारण है, नहीं यह सर क्या हैं ना जवाब देंगे अगर एक शब्द वहां माइक से बताया जा सकता है कि इसके क्या कारण है कि डांडकेसरा में, सर। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर दूंगा मैं बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूं सर कि डांडकेसरा में इसका जनसुनवाई क्यों नहीं हुआ। क्योंकि इसलिए मैं पूछ रहा हूं सर कि आगे के जो क्वेश्चन है उसका जवाब यह फिर नहीं दे पाएंगे है, ना मेरा यह क्वेश्चन है

			कि सुन लिया जाए कि मैं इसलिए पूछ रहा हूं की रुल इसमें महोदय बैठे हुए हैं रुल इसमें यह है कि आपके माइनिंग प्लान, टोपोशीट, भू–अर्जन की कार्यवाही, ग्राम सभा के प्रस्ताव की कॉपी जो क्षति पूर्ति जो प्लानिंग है इसकी सब कॉपी 15 दिन पहले ग्राम पंचायत को देना रहता कि नहीं देना रहता है, सीएमडीसी वाले कोई जवाब दें और दिए हुए हैं, क्या। ग्राम पंचायत वाले किसी को मिला हुआ है, तो फिर क्या सुन रहे हैं इन लोगों की फालतू बात, सर नहीं मेरे को लिखित में तो है सर यह घोर आपत्तिजनक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, सर। इसलिए जगह परिवर्तन इसलिए किया जा रहा है कि दस्तावेज अभी भी दिखा दीजिए, सर। इसलिए ना की पूरी कार्यवाही सिरे से सुनिए है की अगर कुछ गलत होगा इंलीगल होगा तो मेरे से माइक छीन लीजिए आप, सर मैं अपनी बात ही कर रहा हूं सर यहां पर मेरे पूर्व महापौर प्रमोद जी हैं, नक्शा पास होने जब आता है, तो जमीन होनी चाहिए कि नहीं कि बिना जमीन पास हुए नक्शा पास हो जाएगा। आप ग्राम सभा का प्रस्ताव दिखा दिजिये यहां पर लोगों को, बाकी जो यहां होगा वो करेंगें ही, भू अर्जन की क्या कार्यवाही है, दिखाइए दिखा दीजिए अरे सर जी कागज को तो दिखाइए आप, बस आते हैं टेक्निकल बातों पर चर्चा करते हैं कुछ होता नहीं है आप किस किस के जमीन में शासन की कितनी जमीन है सर लीगल बात कर रहा हूं सर शासन की जमीन कितनी जमीन में आप कौन कौन से नंबर पर, आप कौन खसरा, नंबर पर खुदाई कर रहे हैं, करने जा रहे हैं लोगों को कौन–कौन से नंबर आ रहे हैं उसका बी1 खसरा दिखा दीजिए यहां पर लोगों में दिखा दीजिए यहां पर लोगों में। यहां आपको सार्वजनिक करना है आपको, ग्राम पंचायत को 15 दिन पहले देना रहता है, आज तक नहीं दिए हैं, आज मौके पर नहीं रखे हुए हैं क्या चीज का जवाब देंगे। जब दस्तावेज ही इनके पास नहीं है। जब इनके पास दस्तावेज ही नहीं है, तो क्या चीज का जवाब देंगे। अगर आप लोग मेरी आपत्ति के साथ हैं, तो खड़ा

			हो जाइए और नारा लगाइए यह पूरा हरा भरा जंगल आप लोगों ने खुदाई करके आप गड्ढा करने वाले हैं जनजागरुक कार्यक्रम चला रहे हैं, यह हम जैसे लोग नहीं होने देंगे। लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको आप वायलेंस कर रहे हैं जो मौलिक अधिकार इन लोगों को ग्राम वासियों को उसका बायलेशन हो रहा है। इनको रिप्लाई की जरूरत नहीं है इनकी शुरू से ही कार्यवाही इन्लीगल है इसके बाद आगे की कार्यवाही करें। वे अधिकृत किस आधार पर हुए हैं कागज दिखाइए दूल्हा दुल्हन का पता नहीं, पंडित जी फेरे करा रहे हैं, दूल्हा दुल्हन का पता नहीं है और पंडित जी फेरे करवा रहे हैं, आपकी पूरी कार्यवाही वाईड एण्ड नल है, इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं, सीएमडीसी सीएमडीसी सीएमडीसी यही बात है जो मैं करने आया हूं अधिकारी हैं आप जिले के वरिष्ठ अधिकारी हैं आपके रहते हुए आपको धोखा देकर कार्यवाही करा रहे है, कोई सर कोई जवाब देना है बता देना कोई तो इसका क्वेश्चन कर सकू। कोई दस्तावेज है क्या इनका अभी यहां पे, जनसुनवाई में तो सब दस्तावेज रखना पड़ता है, इनको किस आधार से किन–किन दस्तावेज के आधार जन सुनवाई का अधिकार मिला हुआ है। बस हमको दिखा दिया जाए सर, हम चुपचाप बैठ जाएंगे, आप खोदईये जितना खोदना है कम से कम गांव वाले तो देखें उनका प्रस्ताव कहां पर है, दिखा तो दीजिए। तसल्ली तो हो जाए, कलेजे में ठंडक तो पड़ जाए, अरे फर्जी को ही एक बार दिखा दीजिए ताकि रिपोर्ट तो दर्ज करें, हम कोर्ट में ले जाकर पुलिस तो करेगी नहीं है ना, आप एक बार कागज तो दिखाइए क्या लेकर बैठे हुए हैं। क्या चीज को लेकर बैठे हुए हैं आप, आप रिक्वेस्ट आप आदेश कीजिए ना, इनको की कागज दिखाएं, आप इनको आदेश कीजिए। फिर मैं रिप्लाई दूंगा। जो आवश्यक दस्तावेज, हैं जिस के बगैर की एक कार्यवाही हो ही नहीं सकती उन दस्तावेजों को दिखा दिया जाए। मैं रख लिया सर जो 5 दस्तावेज बोला उसको आप से निवेदन है, एकदम हॉर्टफुली रिस्पेक्ट कर

			रहा हूं कि आप आदेशित कीजिए कि आप एक निष्पक्ष जज के रूप में बैठे हुए हैं, ना आप मेरे ऑफिसर हैं, अभी के लिए ना सीएमडीसी के हैं आप इन को आदेशित कीजिए दस्तावेज को लेकर यहां पर जन सुनवाई कर रहे हैं लोगों को यहां पर तो दिखा दे और इसके बगैर कार्यवाही नहीं चलने देंगे सही बात है कि नहीं कोई कार्यवाही नहीं होगा। अभी अपत्ति नहीं सर। अभी तो पेपर दिखाऐगें, पेपर तो दिखाना होगा, पेपर तो दिखाना होगा, पेपर तो दिखाना होगा, पेपर तो दिखाना होगा, पेपर तो दिखाना होगा, पेपर तो दिखाना होगा, सीएमडीसी दादागिरी बन्द करो, सीएमडीसी दादागिरी बन्द करो, सीएमडीसी दादागिरी बन्द करो, सीएमडीसी दादागिरी बन्द करो, सीएमडीसी दादागिरी बन्द करो। पेपर दिखाईये, पावती नहीं। यहां पेशा एक्ट लागू है 98, उसके बाद बगैर ग्राम सभा के प्रस्ताव के कार्यवाही कैसे करेगें, चालू करेंगें, आप पहले प्रस्ताव दिखाईये, फिर आगे मैं देखता हूं। अपर कलेक्टर महोदय– जन सुनवाई के लिए ग्रामसभा का आवश्यकता नहीं रहता। प्रबोध मिंज–सर आप सीएमडीसी के अधिकारी नहीं है,आप प्रशासन की ओर से बैठे है,नियम व प्रक्रियाओं को फ्लो कराने के लिए बैठे हैं, इसलिए प्रशासन ने आपको भेजा है, स्वीकृत कर के दिया है, यदि कोई कार्यवाही नियम के अनुसार हो रही है तो उस कार्यवाही को नियम के अनुसार बढ़ाईये यदि नियम से नहीं है, तो आप मेरेको एक चीज बता दीजिऐ, पेशा कानून लागू है, पेशा कानून लागू है न सर, पेशा कानून क्या कहता है, किसी भी अधिग्रहण के पहले, खोदने के पहले ग्रामसभा की सहमति अनिवार्य है। अपर कलेक्टर महोदय–ये जो जनसुनवाई हो रही है, पर्यावरण के संबंध में हो रही है, ये जो आप बात यहां पर रखोगे आपत्ति, सुझाव,जल जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा या यहां कि आर्थिक स्थित या सामाजिक स्थिति पर क्या

			प्रभाव पडेगा, ये बात आपको यहां पर रखना है। **श्री राजेश गुप्ता, (अधिवक्ता)**—सर एक लाईन में आपका जवाब दे दे रहा हूं, सर निवेदन है, आदानी के केस में सेम यही मामला हुआ था, 2012 में,सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि आपको पहले अपलोड करना यह सब डक्यूमेंट्स और अपलोड किये हुए है, कहिये तो मैं केस नम्बर अभी निकाल के दिखा देता हूं, ये दस्तावेज इनको पहले रखना है, ये इसी जिले का फैसला है।

7 उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अपर कलेक्टर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अनेक बार अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया। किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ, तब अपर कलेक्टर द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों एवं जिज्ञासाओं के निराकरण/जवाब हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

8 परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री पी.एस.यादव, मुख्य महाप्रबंधक, सीएमडीसी द्वारा परियोजना के सम्बंध में लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों एवं जिज्ञासाओं के निराकरण हेतु उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया, जो कि निम्नानुसार है :—रोजगार के संबंध में बताया गया कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जायेगा तथा गांव के वाहन मालिकों के वाहन को किराये पर लेकर रोजगार दिया जायेगा। वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु बताया गया कि सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करके प्रदूषण को कम किया जायेगा। पेय जल तथा शौचालय हेतु जल व्यवस्था के संबंध में बताया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्पोरेट इंवायरमेंट (सी.ई.आर.) मद के अनुसार रू. 1,49,000/—का रैनवाटर हार्वेस्टिंग परियोजना लगाई जायेगा। इसके अतिरिक्त ग्राम समिति द्वारा समय समय पर जो निर्णय लिया जायेगा तथा जिम्मेदारी सौंपी जायेगी। उसका पालन किया जायेगा। लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुद्दों आपत्ति/विचार/सुझाव पर परियोजना प्रस्तावक से लिखित में अंग्रजी तथा हिन्दी जवाब भी प्राप्त हुआ।

परियोजना प्रस्तावक के जवाब उपरांत अपर कलेक्टर, अंबिकापुर, जिला—सरगुजा द्वारा ग्रामवासियों के शांतिपूर्वक पर्यावरणीय जनसुनवाई

कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया गया, ग्रामवासियों के द्वारा टीका टिप्पणी सुझाव प्रस्तुत किया गया, आने वाले दिनो में भी ग्रामवासियों की जो भी समस्या रहेगा। उसका निराकरण प्रशासन के द्वारा और परियोजना प्रस्तावक के माध्यम से भी उसका हल करने का प्रयास किया जायेगा, निश्चित रूप से जो समस्या रहेगा, समय समय पर उसका हल किया जायेगा। आप सभी लोगों ने पर्यावरण जन सुनवाई में सहयोग दिया, भाग लियाँ इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद ज्ञापन के साथ अपर कलेक्टर द्वारा लोकसुनवाई की कार्यवाही समापन/समाप्ति की घोषणा की गई। लोक सुनवाई कार्यवाही की प्रक्रिया अपरान्ह लगभग 02:15 बजे को समापन/समाप्त हुई।

9. लोक सुनवाई के दौरान उक्तानुसार 83 वक्ताओं/व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई। लोक सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अभिव्यक्त सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों आदि को अभिलिखित किया गया। लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां 01 वक्ता से प्राप्त हुई है तथा परियोजना प्रस्तावक से हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में जवाब प्राप्त हुआ। लोक सुनवाई के दौरान लगभग 350 व्यक्ति आरम्भ से समाप्ति तक उपस्थित थे, जिनमें से उपस्थिति पत्रक पर कुल 99 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं। आयोजित लोक सुनवाई के समस्त कार्यवाही की वीडियोग्राफी के साथ फोटोग्राफी की गई।

अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
अंबिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.)

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल
अंबिकापुर, (छ.ग.)